न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/137/2023 रजू दिनांकः 14.12.2023 रजि0 न0 2023/708

अपीलार्थीः—

श्री बुरहान अली पुत्र श्री जैनुद्दीन, निवासी बोहरा मौहल्ला बून्दी (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 15.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/92 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विस्तृत एवं अस्पष्ट होने के कारण प्रार्थी को कार्यालय से रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 10.01.2024 को रिकॉर्ड का अवलोकन कराने एवं सूचना प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन अप्रार्थी आदिनांक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक 05 दिनांक 03.01.2024 के माध्यम से दिनांक 10.01.2024 को रिकॉर्ड का अवलोकन करने हेतु पत्र लिखा गया था, लेकिन अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

AG

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)